महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-5/2023/जी-2-228/दस-2023-05(जी0पी0एफ0(ब0खा0)/2017

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : सितम्बर, 2023

विषय :-- सामान्य भविष्य निधि खाते में ऋणात्मक अवशेष उत्पन्न होने की स्थिति हेतु उत्तरदायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि सरकारी कार्मिकों के जी0पी0एफ0 के प्रकरण सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 से शासित होते हैं जिनके अनुसार जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के आहरण की स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में प्रशासकीय/वित्तीय निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा लिये जाते हैं। प्रशासकीय विभाग के स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा जी0पी0एफ0 खाते से अधिक धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देने अथवा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान कर दिये जाने के कारण अन्तिम भुगतान के प्रकरणों में अधिक भुगतानित की गयी धनराशि ऋणात्मक रूप से आगणित होती है।

2- स्पष्टत: स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा जी0पी0एफ0 खाते से अधिक धनराशि के भुगतान की स्वीकृति अथवा आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अधिक भुगतान, ऋणात्मक अवशेष की स्थिति उत्पन्न होने का मूल कारण है। इस प्रकार ऋणात्मक रूप से आगणित धनराशि की वसूली के लिए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा संगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है परन्तु ऐसे प्रकरणों में जिनमें अपरिहार्य कारणों से वसूली सम्भव नहीं हो पाती है, उन्हें महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा बट्टे खाते में डाले जाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया जाता है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

3- अत: इस सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय के पत्र संख्या-निधि-01/राइट आफ/47008, दिनांक 22.08.2019 एवं उक्त के साथ संलग्न ऐसे ही ऋणात्मक अवशेष के 456 प्रकरणों की सूची को प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपनेअपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विभाग के प्रकरणों को चिन्हित कराते हुए ऋणात्मक अवशेष की उक्त स्थिति के लिए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समुचित कार्यवाही की जाय, जिससे कि भविष्य में ऋणात्मक अवशेष की ऐसी स्थितियॉ उत्पन्न न होने पायें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
पुष्पराज
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।